

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर) : दिल्ली

परिपत्र

राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) के निदेशानुसार आप सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर) द्वारा हिन्दी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। अतः इच्छुक कर्मचारी अपना नामांकन निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) के द्वारा दिनांक 03.06.2019 तक राजभाषा हिन्दी अनुभाग, (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर) रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली को प्रेषित करें। टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्थान एवं समय की सूचना नामांकन प्राप्त करने की उपरान्त दी जाएगी। हिन्दी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

सचिव

(सचिन गुप्ता)

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति
जिला उत्तर रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

पूजा अग्रवाल
24.05.19

(पूजा अग्रवाल)

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति
जिला उत्तर-पश्चिम रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

संख्या 17239-17374/रा.भा.अनु./उत्तर-पश्चिम/2019

दिल्ली, दिनांक 24.05.19

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित करें :-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी दिल्ली
2. श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, विद्वत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति तथा सम्पादकीय समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, दिल्ली न्यायिक सेवा, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली
6. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर), दिल्ली
7. (वरि0) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) तथा अनुभाग प्रभारी, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी, दिल्ली।
8. (वरि0) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, नई दिल्ली, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम (केवल सूचनार्थ)।
9. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
10. अनुभाग प्रभारी, सूचना का अधिकार, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

नोट : सभी विद्वत न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस परिपत्र एवं इसके संलग्नकों से अवगत करवाएं तथा उनका नामांकन राजभाषा हिन्दी अनुभाग उत्तर-पश्चिम को निर्धारित तिथि तक अवश्य भिजवाएं।

सचिव

(सचिन गुप्ता)

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी

पूजा अग्रवाल
24.05.19

(पूजा अग्रवाल)

महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
हिन्दी टंकण प्रशिक्षण – 2019

वर्ष 2019 के लिए हिन्दी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र:-

प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि : 03.06.2019

1. कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पदनाम :
4. कर्मचारी कूट संख्या :
5. वर्तमान तैनाती स्थल :
6. ई-मेल पता :
7. मोबाइल नम्बर.....
8. यदि पहले टंकण प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसकी जानकारी दें।.....

अग्रसारित

कर्मचारी के हस्ताक्षर

(अग्रगण्य अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित